01/2024 कालू उनवान गोपाल

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश 21 नियम 11 (इजराय प्रार्थना पत्र)

5 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आधि. उप.। पैरोकार सरकार उप.। पैरोकार सरकार द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जा चुका है, पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के आधार पर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा ~~पारित~~ वाद सं. 85/14 नि. दि. 12/7/2017 अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय की पालना राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के खातेदार-काश्तकार नहीं होने के कारण किया जाना सम्भव नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम तिलोली की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 531, 537, 539, 541, 542 मूल वाद में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम नहीं है तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से पालना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र में पालना सम्भव नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भीलवाड़ा में ~~प्रस्तुत~~ वाद सं. 85/14 की प्रति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उनके द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया गया था, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में धारा 88, 89 का अंकन नहीं हो पाया तथा डिक्री में धारा 53, 54 RT Act में जारी की गई जिससे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया है। अतः तहसीलदार, भीलवाड़ा को डिक्री की पालना हेतु लिखा जावे व निर्देशित किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) भीलवाड़ा में संस्थित वाद सं. 85/14 उनवान कालू बनाम गोपाल व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वाद की डिक्री अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी की जाकर वादी को खातेदारी अधिकार

— लगातार —

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 01/24.25 कालू उनवान गोपाल

दिनांक	हुक्म या-कार्यवाही मय इनिशियल जज
	O21 R11 CPC
15/4/25	दिये जाने के आदेश की पालना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीलवाड़ा का जवाब लेखिक रूप से प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर डिक्री द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 जा-दीवानी को खारिज किया जाता है। निर्णय सरेदस्त सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। [signature] 15/4/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा